

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::


वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 10(4) ग्रुप-2/एफ.डी./76 दिनांक 13.10.84 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ 6(6) एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के अन्तर्गत, GOVERNMENT OF RAJASTHAN MEDICAL AND HEALTH DEPARTMENT MEDICAL BOARD'S CERTIFICATE ON PERMANENT DISABILITY आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, राजकीय एस.एम.एस चिकित्सालय, जयपुर द्वारा जारी Disability Certificate क्रमांक 1554 दिनांक 20.11.2000 की अभिशंभा के आधार पर श्री हनुमान प्रसाद शर्मा व्याख्याता अंग्रेजी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमेर, जयपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक: 17.09.2021 से मूल वेतन का छः प्रतिशत (6%) की दर से जो रुपये 600/- (अक्षरे रुपये छः सौ मात्र) से अधिक नहीं हो, का विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का यथा ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/विकलांग वाहन भत्ता/2019-20 दिनांक : 04/10/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जयपुर
2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, 
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमेर, जयपुर को आवेदक श्री हनुमान प्रसाद शर्मा व्याख्याता अंग्रेजी का मूल विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
4. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा व्याख्याता अंग्रेजी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमेर, जयपुर
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर